The Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyman) Adhiniyam, 1972

Act 19 of 1972

Keyword(s):
Abhikarta, Ekai, Khatedar, Tendu Patta Utpadak, Niyat Dinank, Vihit

Amendments appended: 6 of 1973, 16 of 1973, 15 of 1979

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

Ch·2
135786

विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1972)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 7-4-1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 14-4-1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

("भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 24-4-1972 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 25-4-1972 ई० को प्रकाशित हुआ।)

तेंदू पत्तों का, लोक-हित में, क्रय तथा वितरण करने में राज्य एकाधिकार स्थापित करने और इससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने का

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

Price 10 Paise

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 5-4-1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

परिभाषायें

2—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) किसी इकाई के संबंध में "अभिकर्ता" का तात्पर्य उस इकाई के संबंध में धारा 4 के अधीन नियुक्त अभिकर्ता से है ;

(ख) "इकाई" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन संघटित इकाई से है ;

(ग) "खातेदार" का तात्पर्य किसी भूमिधर, सीरदार, असामी, सरकारी पट्टेदार या अन्य सरकारी अनुदान-ग्रहीता से है;

(घ) "तेंदू पत्ता उत्पादक" का तात्पर्य, ऐसी भूमि पर उगाये गये तेंदू पत्तों के संबंध में जो तत्समय—

ऐक्ट संख्या 16, 1927

(1) राज्य सरकार में निहित तथा उसके द्वारा धृत हो अथवा इन्डियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 के अधीन आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में संघटित हो, राज्य सरकार से है ;

(2) किसी गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित तथा उसके द्वारा धृत हो, ऐसी गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण से है;

(3) किसी खातेदार द्वारा धृत हो, ऐसे खातेदार से है;

(4) राज्य सरकार अथवा उपर्युक्त गांव सभा, स्थानीय प्राधिकरण या खातेदार की ओर से किसी भोग-बन्धकी, काश्तकार या पट्टेदार द्वारा धृत हो, यथास्थिति, ऐसे भोग बन्धकी, काश्तकार या पट्टेदार से है ;

(5) विधि द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किये गये किसी रिसीवर की अभिरक्षा में हो, ऐसे रिसीवर से है;

(6) किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा धृत हो, ऐसे व्यक्ति से है;

(ङ) किसी क्षेत्र के संबंध में "नियत दिनांक" का तात्पर्य उस दिनांक से है जब से यह अधिनियम उस क्षेत्र में प्रवृत्त हो;

(च) "वर्ष" का तात्पर्य ऐसे बारह महीनों की अवधि से है जो विहित की जाय ;

(छ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ;

ऐक्ट संख्या 16, 1927

(ज) ऐसे शब्दों तथा पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त ऐक्ट में उन्हें दिये गये हों ।

इकाइयों का संघटन

3—राज्य सरकार किसी क्षेत्र को उतनी इकाइयों में विभाजित कर सकती है जितनी वह उचित समझे ।

अभिकर्ताओं की नियुक्ति

4—(1) राज्य सरकार, अपनी ओर से, तेंदू पत्तों का क्रय और उसका व्यापार करने के प्रयोजनार्थ, विभिन्न इकाइयों के संबंध में अभिकर्ता नियुक्त कर सकती है, और कोई भी ऐसा अभिकर्ता एक से अधिक इकाई के संबंध में नियुक्त किया जा सकता है ।

(2) ऐसी नियुक्ति की शर्तें तथा प्रतिबन्ध और तत्संबंधी प्रक्रिया वह होंगी जो विहित की जायं ।

तेंदू पत्तों के विक्रय, क्रय तथा परिवहन पर निर्बन्धन

5—नियत दिनांक को तथा उसके पश्चात्—

(क) कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा उस इकाई, जिसमें पत्ते उगे हों, से संबंधित किसी अभिकर्ता से भिन्न किसी भी व्यक्ति को तेंदू के पत्तों का विक्रय नहीं करेगा ;

(ख) उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता से भिन्न कोई भी व्यक्ति उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता से भिन्न किसी भी व्यक्ति से तेंदू पत्तों का क्रय नहीं करेगा, और न किसी ऐसी भूमि, जिसका वह स्वामी या खातेदार न हो, पर उगाये गये तेंदू पत्तों का संग्रह करेगा;

(ग) उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता से भिन्न कोई भी व्यक्ति तेंदू पत्तों का परिवहन निम्नलिखित दशाओं के सिवाय, नहीं करेगा, अर्थात्:—

(1) यदि वह, तेंदू पत्ता उत्पादक होने की दशा में, इकाई के भीतर, जहां ऐसे पत्ते उगे हों, किसी स्थान से पत्तों का परिवहन उसी इकाई में किसी अन्य स्थान के लिये करे; अथवा

(2) यदि वह पत्तों का परिवहन उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता की ओर से करे; अथवा

(3) यदि उसने उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता से पत्तों का क्रय या तो उत्तर प्रदेश के भीतर बीड़ियां बनाने के लिये अथवा उत्तर प्रदेश के बाहर पत्तों का विक्रय करने के लिये किया हो, और वह ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से, जिसे विहित किया जाय, तदर्थ जारी किये गये अनुज्ञापत्र की शर्तों और प्रतिबन्धों के अनुसार उक्त इकाई के बाहर उनका परिवहन करे ।

परामर्श समिति का संघटन

6—(1) राज्य सरकार प्रत्येक ऐसे एक आयुक्त के डिवीजन के लिये, जहां तेंदू पत्ते उगते हों, एक परामर्श समिति प्रत्येक वर्ष के लिये संघटित करेगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों में एक-तिहाई से अनधिक सदस्य तेंदू पत्ता उत्पादकों में से होंगे ।

(2) प्रत्येक डिवीजन की परामर्श समिति, राज्य सरकार को, समय-समय पर उस डिवीजन में विक्रय के लिये प्रस्तुत तेंदू पत्तों के राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से क्रय के उचित और युक्तियुक्त मूल्य निर्धारण के विषय में, तथा ऐसे अन्य विषयों पर भी जो राज्य सरकार द्वारा उसे अभिदिष्ट किये जायें, परामर्श देगी ।

(3) समिति की कार्यवाही का संचालन ऐसी रीति से किया जायगा जो विहित की जाय ।

राज्य सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण

7—(1) राज्य सरकार अन्य तथ्यों के साथ-साथ निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए ऐसा मूल्य निर्धारित करेगी, जिस पर वर्ष के दौरान डिवीजन की प्रत्येक इकाई में उसके द्वारा या उसके लिए या तेंदू पत्ता उत्पादकों से तेंदू पत्तों का क्रय किया जायगा, अर्थात्:—

(क) किसी इकाई के संबंध में पिछले तीन वर्षों में इस अधिनियम के अधीन तेंदू पत्तों का निर्धारित मूल्य, यदि कोई हो;

(ख) इकाई में उगाये गये पत्तों की किस्म ;

(ग) इकाई में उपलब्ध परिवहन सुविधायें;

(घ) परिवहन व्यय; तथा

(ङ) अनिपुण श्रमिक के लिये मजदूरी का इकाई में प्रचलित सामान्य दर ।

(2) इस प्रकार निर्धारित मूल्य ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसी रीति से, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, प्रकाशित किया जायगा और उस वर्ष के दौरान जिसके संबंध में वह हो, उसमें परिवर्तन नहीं किया जायगा ।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन मूल्य निर्धारित किये जाने के पूर्व, धारा 6 के अधीन परामर्श समिति संघटित हो गयी हो तो राज्य सरकार ऐसा मूल्य निर्धारण करने से पूर्व परामर्श समिति से, जहां व्यवहार्य हो, परामर्श करेगी ।

राज्य सरकार विक्रय हेतु प्रस्तुत समस्त तेंदू पत्तों का क्रय करेगी

8—(1) राज्य सरकार समस्त तेंदू पत्ते, जो उसे या उसके लिये विक्रय हेतु राज्य सरकार द्वारा तदर्थ स्थापित किसी डिपो पर सामान्य कार्य-समय में प्रस्तुत किये जायें, धारा 7 के अधीन निर्धारित मूल्य पर क्रय करने के लिये बाध्य होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार के तदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी या अभिकर्ता, जैसी भी दशा हो, को ऐसे तेंदू पत्तों को क्रय करने से इंकार करने का अधिकार होगा जो उसकी राय में बीड़ी बनाने के प्रयोजनार्थ उपयुक्त न हों ।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन किसी अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा उसके पत्तों को अस्वीकार करने के कारण क्षुब्ध हो, उससे पंद्रह दिन के भीतर और विहित रीति से प्रभागीय वन अधिकारी, या ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत किया जाय, परिवाद प्रस्तुत कर सकता है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई परिवाद प्राप्त होने पर, सम्बद्ध अधिकारी उसकी सरसरी रूप से जांच करेगा और ऐसा आदेश देगा जो वह उचित समझे, और उस दशा में जब उसे पत्तों को लेने से इंकार करना अनुचित प्रतीत हो, तो वह—

(क) यदि उसे प्रश्नगत पत्ते बीड़ियां बनाने के लिये उस समय तक उपयुक्त प्रतीत हों, तो, यथास्थिति प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को उन्हें क्रय करने का निदेश देगा, और क्षुब्ध व्यक्ति के हक में ऐसा प्रतिकर दिये जाने का निदेश देगा जो पत्तों के लिये उसे दिये जाने वाले मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक न हो और जिसे वह उचित समझे ; अथवा ;

(ख) यदि उसे यह प्रतीत हो कि प्रश्नगत पत्ते बीड़ियां बनाने के लिये अब अनुपयुक्त हो चुके हैं, तो यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को क्षुब्ध व्यक्ति के हक में कोई ऐसी धनराशि का, जो उपधारा (1) के अधीन ऐसे पत्तों के लिये उसे दिये जाने वाले मूल्य के बराबर हो, और ऐसा अतिरिक्त प्रतिकर जिसे वह ऐसे व्यक्ति को हुई हानि के लिये क्षतिस्वरूप देना उचित समझे, और जो ऐसे मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक न हो, देने का निदेश देगा ।

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को यह विश्वास करने का कारण हो कि विक्रयार्थ प्रस्तुत कोई तेंदू पत्ते, राज्य सरकार में निहित और उसके द्वारा धृत भूमि पर या आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में संघटित भूमि पर उगाये गये हैं, तो ऐसे पत्ते, किसी मूल्य का भुगतान किये बिना, और केवल ऐसे संग्रहण-व्यय का भुगतान करके, यदि कोई हो, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे, हस्तगत किये जा सकते हैं ।

(5) उपधारा (4) के अधीन की गयी किसी कार्यवाही के संबंध में उपधारा (2) तथा (3) के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।

(6) इस धारा के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।

उत्पादकों इत्यादि का रजिस्ट्रीकरण

9—(1) राज्य सरकार या किसी गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण से भिन्न प्रत्येक तेंदू पत्ता उत्पादक, यदि किसी वर्ष के दौरान उसके द्वारा उगाये गये पत्तों की मात्रा ऐसी मात्रा से अधिक हो जाने की संभावना हो, जो विहित की जाय, विहित रीति से अपना रजिस्ट्रीकरण करायेगा ।

बीड़ियों के निर्माता तथा तेंदू पत्तों के निर्यातकर्ता का रजिस्ट्रीकरण

(2) बीड़ियों का प्रत्येक निर्माता तथा तेंदू पत्ते का प्रत्येक निर्यातकर्ता ऐसी फीस का भुगतान करके और ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, अपना रजिस्ट्रीकरण करायेगा ।

तेंदू पत्तों का निस्तारण

10—(1) राज्य सरकार द्वारा या उसके लिये क्रय किये गये तेंदू पत्तों का विक्रय या उनका अन्य प्रकार से निस्तारण ऐसी रीति से किया जायगा जैसा राज्य सरकार निदेश दे ।

(2) ऐसे तेंदू पत्तों की बिक्री जिनके संबंध में राज्य सरकार या कोई गांव सभा अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरण उत्पादक हो, और यदि किसी ऐसे क्षेत्र में उत्पन्न तेंदू पत्तों जिनके किसी एक भाग के संबंध में राज्य सरकार उत्पादक हो और दूसरे भाग के संबंध में गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण उत्पादक हो, को सरकार बेंचती हो अथवा बिकवाती हो तो ऐसी बिक्री की शुद्ध आय का राज्य सरकार और ऐसी गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के बीच प्रभाजन, राज्य सरकार द्वारा तदर्थ जारी किये गये किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायगा ।

शक्तियों का प्रतिनिधान

11—राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन अपनी कोई शक्ति या कृत्य ऐसे किसी अधिकारी को, जिसका पद सहायक अरण्य-पाल के पद से कम न हो, प्रतिनिहित कर सकती है, जो उसका प्रयोग या सम्पादन, ऐसी शर्तों या निर्बन्धनों के अधीन, यदि कोई हों, जिन्हें राज्य सरकार आदेश में निर्दिष्ट करे, रहते हुए करेगा ।

प्रवेश करने, तलाशी लेने, अभिग्रहण करने आदि के अधिकार

12—(1) कोई पुलिस अधिकारी, जिसका पद उप-निरीक्षक के पद से कम न हो, या कोई भी वन अधिकारी इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने या अपना यह समाधान करने के उद्देश्य से कि उक्त उपबन्धों का अनुपालन किया गया है—

(1) किसी ऐसे व्यक्ति, नौका, गाड़ी या पात्र को जिसे तेंदू पत्तों का परिवहन करने में प्रयुक्त किया गया हो या जो प्रयोग करने के लिये अभिप्रेत हो, रोक सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है ;

(2) किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है ;

(3) ऐसे तेंदू पत्तों को जिनके संबंध में उसे सन्देह हो कि इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है, ऐसे पात्र सहित, जिसमें ऐसे पत्ते हों, या ऐसी गाड़ी या नौकाओं के साथ जो पत्तों को लाने में प्रयुक्त की गयी हों, अभिगृहीत कर सकता है ।

(2) तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के संबंध मे दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 102 तथा 103 के उपबन्ध, यथासंभव, इस धारा के अधीन तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के संबंध में लागू होंगे । 1898 का अधिनियम 5

शास्ति

13—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो उसके संबंध में यह समझा जायगा कि उसने वन अपराध किया है, और तेंदू पत्ता, यदि कोई हो, जिसके संबंध में उक्त अपराध किया गया है, ऐसा अपराध किये जाने के संबंध में, वन उपज समझी जायगी, और उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 के अध्याय ४ के उपबन्ध, (धारा 69 को छोड़कर) तदनुसार आवश्यक परिष्कारों के साथ लागू होंगे ।

कम्पनी द्वारा अपराध

14—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो, तो कम्पनी तथा अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार वह उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने का उत्तरदायी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी गयी किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दंड का उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध किये जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक उपाय किये ।

(2) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी मैनेजिंग ऐजेंट, सेक्रेटरीज तथा ट्रेजरर्स, डाइरेक्टर, मैनेजर या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है अथवा ऐसे अपराध का किया जाना मैनेजिंग ऐजेंट, सेक्रेटरीज तथा ट्रेजरर्स, डाइरेक्टर, मैनेजर या अन्य अधिकारी की उपेक्षा के कारण आरोप्य हो, तो कम्पनी के ऐसे मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज तथा ट्रेजरर्स, डाइरेक्टर, मैनेजर या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने के उत्तरदायी होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है ; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "डाइरेक्टर" का तात्पर्य उस फर्म क भागीदार से है ।

अपराधों का संज्ञान

15—किसी ऐसे वन अधिकारी द्वारा जिसका पद प्रभागीय वन अधिकारी के पद से कम न हो अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ अधिकृत करे, उन तथ्यों के संबंध में जिनसे कि अपराध बनता हो, दिये गये लिखित प्रतिवदन के सिवाय, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

अधिनियम क उपबन्धों का अभिभावी प्रभाव होगा

16—इस अधिनियम के उपबन्ध, किसी अन्य विधि अथवा किसी संविदा या अन्य संलेख म दी गयी उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

सद्भावना से किये गये कार्य के संबंध में बचाव

17—(1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गय नियमों के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

(2) राज्य सरकार के विरुद्ध इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के आधार पर या ऐसी किसी बात से, जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावना से की गयी हो या की जाने के लिये अभिप्रेत हो, किसी ऐसी हानि के लिये जो हुई हो या जिसके होने की संभावना हो अथवा किसी ऐसी क्षति के लिए जो हुई हो या जिसके होने की संभावना हो, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति

18—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) विशेषत: और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों मे निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय की व्यवस्था की जा सकती है ; अर्थात्—

(क) अभिकर्ताओं की नियुक्ति करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) तेंदू पत्तों की मूल्य-सूची का प्रकाशन:

(ग) इस अधिनियम के अधीन जांच करने की रीति ;

(घ) प्राधिकारी जिसके द्वारा, रीति जिसके अनुसार तथा शर्तें जिन पर तेंदू पत्तों के परिवहन के लिये धारा 5 के अधीन अनुज्ञा-पत्र जारी किये जा सकते हैं ;

(ङ) धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की रीति, अवधि जिसके भीतर ऐसा रजिस्ट्रीकरण किया जायगा, तथा उसकी उपधारा (2) के अधीन देय फीस ;

(च) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिकर अवधारित करने के लिये मार्ग-दर्शक सिद्धांत ;

(छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या किया जाय ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल तीस दिन की अवधिपर्यन्त रक्खे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये, प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

19—यदि 1 जुलाई, 1971 और 24 फरवरी, 1972 के बीच किसी समय तेंदू पत्तों के किसी उत्पादक ने किसी व्यापारी के साथ ऐसे तेंदू पत्तों की बिक्री के लिए, जो उसके द्वारा वर्ष 1972 में उगाये जाने हों, कोई संविदा की हो और ऐसे संविदा के अन्तर्गत व्यापारी से ऐसे पत्तों के, जो व्यापारी को दिये जाने हों, मूल्य की ओर कोई अग्रिम धनराशि ले ली हो तो, इस बात के होते हुए भी कि ऐसी संविदा धारा 5 और 16 के उपबन्धों के कारण नियत दिनांक को शून्य हो गयी हो, उक्त उत्पादक और व्यापारी ऐसी अग्रिम धनराशि का ब्योरा देते हुए प्रभागीय वन अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष संयुक्त आवेदन-पत्र दे सकते हैं, और तदोपरान्त उक्त अधिकारी यथाविधि यह समाधान हो जाने पर कि आवेदन-पत्र उत्पादक द्वारा स्वेच्छा से दिया गया है, धारा 8 में अभिदिष्ट अधिकारी या अभिकर्ता को उत्पादक की ओर से व्यापारी को, धारा 8 के अधीन विक्रीत पत्तों के लिये उत्पादक को देय मूल्य में से, ऐसी धनराशि जो बिना किसी व्याज या प्रतिकर के कुल अदत्त अग्रिम धनराशि से अधिक न होगी, देने का निदेश दे सकता है, और राज्य सरकार या अभिकर्ता, उत्पादक के प्रति, और उत्पादक, व्यापारी के प्रति, ऐसे भुगतान की सीमा तक दायित्व से उन्मुक्त हो जायेंगे, और उत्पादक ऐसी अग्रिम धनराशि के सम्बन्ध में किसी व्याज या प्रतिकर का देनदार न होगा ।

धीकरण

20—राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1972 के गजट में प्रकाशित सूचना संख्या 1942/14–2–72, दिनांक 29 मार्च, 1972 जिसके द्वारा इकाइयों के लिए अभिकर्त्ताओं के रूप में नियुक्ति के लिये प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये गये तथा राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सूचना संख्या 1861/14–2–72, दिनांक 22 मार्च, 1972 जिसके द्वारा राज्य सरकार या उसके अधिकारियों या अभिकर्त्ताओं द्वारा संग्रह किये गये अथवा संग्रह किये जाने के लिए सम्भावित तेंदू पत्तों के क्रय करने के इच्छुक व्यक्तियों से निविदाओं को आमन्त्रित किया गया, तथा उपर्युक्त सूचनाओं के अनुसरण में की गयी कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य उसी प्रकार वैध समझा जायगा व सदैव से वैध रहा समझा जायेगा मानों कि राज्य सरकार द्वारा धारा 18 के अधीन बनाये गये तथा गजट दिनांक 17 मार्च, 1972 में प्रकाशित नियम दिनांक 17 मार्च, 1972 को प्रवृत्त हो गये थे ।

रसन

21—उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार-विनियमन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० 1, 1972।

• एस० यू० पी०—ए० पी० 59 जनरल (लेग०)—1972—1,823 (प्रे०)।

148111

L. A. 1573. 6 Gop3

(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

UTTAR PRADESH TENDU PATTA (VYAPAR VINIYAMAN) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1973

(U. P. Act No. 6 of 1973)

[**Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1973*]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1972

It is hereby enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1973.

Amendment of section 1 of U. P. Act no. 19 of 1972.

2. In section 1 of the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, namely :—

"(3) It shall be deemed to have come into force, in the districts of Allahabad, Mirzapur, Banda, Hamirpur, Jhansi and Varanasi on March 2, 1972, and shall come into force in the rest of Uttar Pradesh on such date as the State Government may by notification in the *Gazette*, appoint, and different dates may be appointed for different areas of Uttar Pradesh."

Amendment of section 2.

3. In section 2 of the principal Act, *for* clause (*f*) the following clause shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, namely :—

"(*f*) 'year' means the year beginning on the first day of January ;"

Amendment of section 5.

4. Section 5 of the principal Act shall be *re-numbered* and be deemed always to have been *re-numbered* as sub-section (1) thereof, and *after* sub-section (1) as so *re-numbered*, the following sub-sections shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted*, namely :—

"(2) Notwithstanding anything in sub-section (1) the State Government or an officer of the State Government authorised by it in that behalf may on such terms and conditions and in such manner as may be prescribed,—

(*a*) permit any person, who had purchased *tendu* leaves in the year 1971 or earlier,—

(i) to sell such leaves to any person other than the State Government or an officer or agent referred to in clause (*a*) of sub-section (1), and permit any person other than such Government, officer or agent to purchase the said leaves ; or

(ii) to transport such leaves to any place within Uttar Pradesh or to export them outside Uttar Pradesh ; or

(*b*) permit any person referred to in sub-clause (iii) of clause (*c*) of sub-section (1) to sell within Uttar Pradesh any *tendu* leaves which he has been unable to utilise in the manufacture of *bidis* within Uttar Pradesh or, as the case may be, to export outside Uttar Pradesh ; or

---

*[For statement of Objects and Reasons, please *see* *Uttar Pradesh Gazette* (*Extraordinary*), dated the 14th December 14, 1972].

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on December 14, 1972 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on January 1), 1973.

(Received the assent of the Governor on January 22, 1973 under Article 200, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Psadesh Gazette Extraordinary*, dated January 22, 1973.

(*c*) permit any person, who has purchased any *tendu* leaves outside Uttar Pradesh to bring them inside the State either for manufacture of *bidis* within the State or for transporting them elsewhere outside Uttar Pradesh ; or

(*d*) permit any person, who has purchased any *tendu* leaves within Uttar Pradesh outside any area to which this Act applies to transport them to any area to which this Act applies for the manufacture of *bidis*.

(3) A person to whom a permit referred to in sub-clause (iii) of clause (*c*) of sub-section (1) or in sub-section (2) is granted shall be liable to payment of such fee as may be prescribed."

Amendment of section 7.

5. In section 7 of the principal Act, in sub-section (1), the words "from growers of *tendu* leaves" shall be *omitted* and be deemed always to have been *omitted*.

Amendment of section 18.

6. In section 18 of the principal Act—

(i) in sub-section (1), *for* the words "may make rules" the words "may by notification in the *Gazette* make rules" shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted* ;

(ii) in sub-section (2), in clause (*d*), the words "for transport of *tendu* leaves" shall be *omitted* and be deemed always to have been *omitted*, and at the end, following words shall be *inserted*, namely :—

"and the fees payable for such permits ;"

(iii) *after* sub-section (3) the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(4) Notwithstanding anything in sub-section (3), any rules made within one year from the commencement of this Act may be made retrospectively to a date not earlier than the commencement of this Act."

Amendment of section 21.

7. Section 21 of the principal Act, shall be *re-numbered* as sub-section (1) thereof and *after* sub-section (1) as so *re-numbered*, the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act was in force at all material times."

Validation.

8. Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court, anything done or purporting to be done or any action taken or purporting to be taken under the provisions of section 5 of the principal Act, with respect to *tendu* leaves grown in the year 1971 or earlier shall be deemed to be as valid and effective as if the amendments made in sections 5 and 7 of that Act by this Act were in force at all material times.

Repeal of U. P. Ordinance no. 18 of 1972.

9. The Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) (Sanshodhan) Adhyadesh, 1972, is hereby repealed.

PSUP—A. P. 344 Genl. (Leg).—1973. 1,877 1-50 ss, (M).

148280

L.A
1573'76
Colo 3

UTTAR PRADESH TENDU PATTA (VYAPAR VINIYAMAN) (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1973

(U. P. ACT NO. 16 OF 1973)

विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

**Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Tendu Patta Vyapar Viniyaman) (Dwitiya Sanshodhan Adhiniyam, 1973)*

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1 This Act may be called the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1973.

Amendment of section 7 of U.P. Act no. 19 of 1972.

2. In section 7 of the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1972, in sub-section (2), the words "before such date and" shall be *omitted* and be deemed always to have been *omitted*, and *for* the words "and shall not be altered", the words "and shall not be reduced" shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*.

(*For Statement of Objects and Reasons, please *see* Uttar Pradesh Gazette (*Extraordinary*) dated May 10, 1973).

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on May 10, 1973, and by the Uttar Pradesh Legislative Council on May 14, 1973).

(Received the Assent of the Governor on May 22, 1973 under Article 200, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary* dated May 23, 1973).

Price 0.5 Paise.

PSUP.—A. P. 104 General (Leg.)—1973 1877+50 SS (M.).

L. A
15/79.15
Cop. 1
164259

THE UTTAR PRADESH TENDU PATTA (VYAPAR VINIYAMAN) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1979

[U. P. ACT NO. 15 OF 1979]

[Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 1979)]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1972

IT IS HEREBY enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979.

(2) It shall be deemed to have come into force on April 7, 1979.

Insertion of new section 5-A in the U. P. Act no. 19 of 1972.

2. In the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1972, *after* section 5, the following section shall be inserted and deemed always to have been *inserted*, namely:—

"5-A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act but subject to section 16, the State Government or an officer empowered by it by general or special order in this behalf, may by permit authorise in the manner prescribed a person to whom the State Government has sold or with whom it has agreed to sell tendu leaves to collect the same on its behalf directly from the grower of tendu leaves, on payment of price thereof to such growers.

(2) The permit referred to in sub-section (1) shall specify the estimated quantity sold, the name of the grower of tendu leaves, the amount required to be paid to such grower and such other particulars as may be prescribed.

(3) A person authorised under sub-section (1) shall be deemed to be an agent for all or any of the purposes of this Act as may be prescribed, but shall not be entitled to payment of any amount by way of commission or otherwise for the collection of tendu leaves."

Repeal and savings.

Ordi- no. 8 9.

3. (1) The Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) (Sanshodhan) Ordinance, 1979, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the aforesaid Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

---

*(For Statement of Objects and Reasons, please *see* *Uttar Pradesh Gazette Extraordiuary*, dated May 4, 1979).

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on May 3, 1979 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on May 7, 1979).

(Received the assent of the Governor on May 21, 1979, under Article 200 of the Constitution of India and was published in Part I (*a*) of the Legislative Supplement of the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinarry*, dated May 25, 1979).

Price. 15 paise

PSUP—A.P. 205 Sa(Vidhayaka)—29-10-79—(2467)—1979—1837+50 ss (M).